परिपत्र संख्या 237/31/2024-जीएसटी

एफ. संख्या सीबीआईसी-20001/6/2024-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
तारीख 15 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ आयुक्त (केंद्रीय कर)

सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

<u>विषय: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 में उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के संदर्भ में।</u>

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 16 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) का संदर्भ लें, जिसे 1 जुलाई, 2017 से वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 की धारा 118 के तहत सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में शामिल किया गया है, जिसके तहत सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा को कुछ निर्दिष्ट मामलों में पूर्वव्यापी रूप से बढ़ा दिया गया है।

1.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4), उप-धारा (5) और उप-धारा (6) को तुरन्त संदर्भ हेतु नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"**(4)** कोई पंजीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी चालान या डेबिट नोट के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जिससे ऐसा चालान या डेबिट नोट संबंधित है, [नवंबर का तीसवां दिन[या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात्, जो भी पहले हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा।*
>
> *बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे डेबिट नोट से संबंधित किसी बीजक या बीजक के संबंध में, जिसका ब्यौरा आपूर्तिकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा)1) के अधीन अपलोड किया गया है, सितम्बर, 2018 मास के लिए धारा 39 के अधीन रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् मार्च, 2019 मास के लिए उक्त धारा के अधीन रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जो मार्च, 2019 मास के लिए उक्त धारा की उपधारा)1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक होगा।[*
>
> ***(5)** उप-धारा (4) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए चालान या डेबिट नोट के संबंध में, पंजीकृत व्यक्ति धारा 39 के तहत किसी भी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जो नवंबर, 2021 के तीसवें दिन तक दायर किया जाता है।*

(6) जहां पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण धारा 29 के तहत रद्द कर दिया जाता है और बाद में पंजीकरण रद्द करना किसी भी आदेश द्वारा, या तो धारा 30 के तहत या अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत द्वारा किए गए किसी भी आदेश के अनुसरण में रद्द कर दिया जाता है और जहां पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख पर उप-धारा (4) के तहत चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना प्रतिबंधित नहीं था, उक्त व्यक्ति धारा 39 के तहत रिटर्न में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा,

(i) जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा चालान या डेबिट नोट संबंधित है उसके अगले नवंबर के तीसवें दिन तक या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले हो, दाखिल किया जाता है; या

(ii) पंजीकरण रद्द करने की तारीख या पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख से, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण रद्द करने के निरसन के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए, जहां ऐसा रिटर्न पंजीकरण रद्द करने के निरसन के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर किया जाता है, जो भी बाद में हो।

1.3 इसके अलावा, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 की धारा 150 (नीचे पुन: प्रस्तुत) में यह प्रावधान किया गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के पूर्वव्यापी प्रविष्टि के कारण किसी भी भुगतान किए गए कर की वापसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं किया जाएगा।

*"**150.** समस्त भुगतान किए गए कर या वापस किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी नहीं की जाएगी, जो कि उस समय धारा 118 के लागू रहने पर भुगतान नहीं किया गया होता या वापस नहीं किया गया होता।"*

1.4 इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 22/2024-केन्द्रीय कर दिनांकित 08.10.2024 के अनुसार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के तहत आदेशों के सुधार के लिए एक विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, जिसका अनुपालन कर योग्य व्यक्तियों के वर्ग द्वारा किया जाना है, जिनके खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने की मांग की पुष्टि करते हैं, लेकिन जहां ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है।

1.5 व्यापार और उद्योग से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन करदाताओं को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में उक्त संशोधनों का लाभ प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जिनके खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप- धारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए मांग जारी की गई है, जो अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप- धारा (5) या उप- धारा (6) के पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के हकदार हैं।

2. क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट करता है।

3. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित प्रावधानों के कारण लाभ प्राप्त करने के लिए कर अधिकारियों और/या करदाताओं द्वारा विभिन्न परिदृश्यों में निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:

3.1 जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत कोई मांग नोटिस/ विवरण जारी नहीं किया गया है:

ऐसे मामलों में, जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत लाभ के संबंध में कोई जांच/कार्यवाही शुरू की गई है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत कोई मांग नोटिस/विवरण जारी नहीं किया गया है, और करदाता अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के तहत उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के हकदार हैं; उचित कार्यालय सीजीएसटी

अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) का संज्ञान लेगा, जिसे 01.07.2017 से पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित किया गया है और आगे उचित कार्रवाई करेगा। इसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करने के लिए सीजीएसटी नियमों के नियम 142(1अ) के तहत फॉर्म डीआरसी-01ए में सूचना जारी की गई है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत कोई मांग नोटिस/विवरण जारी नहीं किया गया है।

3.2 जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत मांग नोटिस/विवरण जारी किया गया है, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया है:

ऐसे मामलों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) का संज्ञान लेगा, जिसे 01.07.2017 से पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित किया गया है, और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत उचित आदेश पारित करेगा।

3.3 जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत आदेश जारी किया गया है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर की गई है, लेकिन अपील प्राधिकारी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया है:

ऐसे मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) का संज्ञान लेगा, जिसे 01.07.2017 से पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित किया गया है, और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत उचित आदेश पारित करेगा।

3.4 जहां सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत आदेश जारी किया गया है और पुनरीक्षण प्राधिकरण ने सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 108 के तहत कार्यवाही शुरू की है, लेकिन पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 108 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया है:

ऐसे मामलों में, पुनरीक्षण प्राधिकरण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) का संज्ञान लेगा, जिसे 01.07.2017 से पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित किया गया है, और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 108 के तहत उचित आदेश पारित करेगा।

3.5 जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत आदेश जारी किया गया है, लेकिन उक्त आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के पास कोई अपील दायर नहीं की गई है, या जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के तहत आदेश अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, लेकिन उक्त आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के पास कोई अपील दायर नहीं की गई है:

ऐसे मामलों में, जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के तहत कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने की मांग की पुष्टि की गई है, लेकिन जहां ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है, संबंधित करदाता अधिसूचना संख्या 22/2024 - केंद्रीय कर दिनांकित 08.10.2024 के माध्यम से अधिसूचित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के तहत विशेष प्रक्रिया के तहत ऐसे आदेश के सुधार के लिए उक्त अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतरआवेदन कर सकते हैं ।

3.5.1 विभिन्न मामलों में सुधार के लिए करदाता www.gst.gov.in पर लॉगइन करने के बाद, अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके, निम्नानुसार नेविगेट करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन दायर कर सकते हैं:

क. ऐसे मामले में जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत जारी आदेश के सुधार के लिए आवेदन दायर किया जाना है:

i. **डैशबोर्ड > सेवाएँ > उपयोगकर्ता सेवाएँ > मेरे अनुप्रयोग** पर क्लिक करें।

ii. **आवेदन प्रकार** फ़ील्ड में "आदेश के सुधार के लिए आवेदन" का चयन करें।

फिर, **नया आवेदन** बटन पर क्लिक करें।

ख. ऐसे मामले में जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत जारी आदेश के सुधार के लिए आवेदन दायर किया जाना है:

i. **डैशबोर्ड > सेवाएँ > उपयोगकर्ता सेवाएँ पर क्लिक करें > अतिरिक्त नोटिस/ऑर्डर** देखें

ii. अतिरिक्त नोटिस और आदेश पृष्ठ प्रदर्शित होता है। जारी किए गए नोटिस/ आदेश के केस विवरण स्क्रीन पर जाने के लिए **व्यू** हाइपरलिंक पर क्लिक करें।

iii. **केस डिटेल्स** पेज प्रदर्शित होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से **एप्लीकेशन** टैब चयनित है। **ऑर्डर** टैब चुनें और "सुधार आरंभ करें" लिंक पर क्लिक करें।

ग. ऐसे मामले में जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 108 के तहत जारी आदेश के सुधार के लिए आवेदन दायर किया जाना है:

i. **डैशबोर्ड > सेवाएँ > उपयोगकर्ता सेवाएँ पर क्लिक करें > अतिरिक्त नोटिस/आदेश** देखें

ii. **अतिरिक्त नोटिस और आदेश** पृष्ठ प्रदर्शित होता है। जारी किए गए नोटिस/आदेश की केस विवरण स्क्रीन पर जाने के लिए व्यू हाइपरलिंक पर क्लिक करें।

iii. **केस विवरण** पृष्ठ प्रदर्शित होता है। **नोटिस** टैब डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित है। संशोधन प्राधिकरण द्वारा आपको जारी किए गए संशोधन आदेश के विरुद्ध सुधार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए, **ऑर्डर** टैब चुनें और "सुधार आरंभ करें" लिंक पर क्लिक करें।

3.5.2 आदेश में सुधार के लिए ऐसे आवेदन को दाखिल करते समय, करदाता को आदेश में सुधार के लिए आवेदन के साथ, उक्त अधिसूचना के **अनुलग्नक अ** में दिए गए प्रोफार्मा में सूचना अपलोड करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप- धारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की उक्त आदेश में पुष्टि की गई मांग का ब्यौरा शामिल होगा, जो अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप- धारा (5) और/ या उप- धारा (6) के अनुसार पात्र है।

3.5.3 सुधार के लिए ऐसे आवेदन पर उस उचित अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था जिसके लिए उक्त सुधार आवेदन दायर किया गया है। उक्त अधिकारी सुधार के लिए उक्त आवेदन पर निर्णय लेगा और जहां तक संभव हो, ऐसे आवेदन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आदेश जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में जहां उचित अधिकारी द्वारा उस आदेश में कोई सुधार किया जा रहा है जिसके लिए सुधार आवेदन दायर किया गया है, तो वह संशोधित आदेश का सारांश भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से **फॉर्म डीआरसी-08** में अपलोड करेगा, उन मामलों में जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत जारी आदेश में सुधार किया जा रहा है, और उन मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के तहत जारी आदेश में सुधार किया जा रहा है, **फॉर्म जीएसटी एपीएल-04** में अपलोड करेगा। उक्त विशेष प्रक्रिया के तहत दायर सुधार के लिए ऐसे आवेदन पर निर्णय लेते समय, उचित अधिकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के तहत जारी संबंधित नोटिस में लागू सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करने के लिए अन्य आधारों पर भी विचार करेगा।

3.5.4 जहां सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां उक्त उचित अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

3.5.5 इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे मामलों में जहां कोई सुधार किया गया है,जिस क्रम में सुधार आवेदन दायर किया गया है, उस क्रम में उचित अधिकारी,ऐसे संशोधित आदेश के विरुद्ध अपील सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 या धारा 112 के प्रावधानों के तहत, जैसा भी मामला हो, उसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दायर की जा सकती है।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 150 के अनुसार, पहले से भुगतान किए गए कर या पहले से वापस किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी, जहां ऐसा कर भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण वापस किया गया है, और जहां ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है।

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के तहत जारी आदेश का सुधार आवेदन, अधिसूचना संख्या 22/2024 - केंद्रीय कर दिनांकित 08.10.2024 द्वारा अधिसूचित विशेष प्रक्रिया के तहत, उक्त अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता है, केवल उन मामलों में जहां मुद्दा या उन मुद्दों में से एक, जिस पर उक्त आदेश में मांग की पुष्टि की गई है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने से संबंधित है, और जहां ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है। ऐसे मामलों में जहां ऐसा कोई मुद्दा शामिल नहीं है और करदाता को किसी आदेश में सुधार के लिए आवेदन दायर करने की आवश्यकता है, ऐसे सुधार आवेदन करदाताओं द्वारा केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 161 के प्रावधानों के तहत, उसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दायर किया जा सकता है। यदि किसी करदाता ने अधिसूचना संख्या 22/2024 - केंद्रीय कर दिनांकित 08.10.2024 के तहत अधिसूचित विशेष प्रक्रिया के तहत किसी आदेश के सुधार के लिए आवेदन दायर किया है, लेकिन जहां यह पाया जाता है कि उक्त आदेश में मुद्दों में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने का कोई मुद्दा शामिल नहीं है, और जहां ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, ऐसे आवेदन को उचित अधिकारी द्वारा इस टिप्पणी के साथ सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा कि, *"सुधार आवेदन को खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह पाया गया है कि यह अधिसूचना संख्या 22/2024 - केंद्रीय कर दिनांकित 08.10.2024 के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने से संबंधित ऐसा कोई मुद्दा उक्त आदेश में शामिल नहीं है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है"*

6. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

7. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

8 . अंग्रेजी संस्करण और उसके हिंदी अनुवाद के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति या असंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

संजय मंगल
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)